



फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक फलफटर चौहटन व मुकाम चौहटन

उपररुद्र अधिनारी
सभाई बनाम सरपंच ग्राम पंचायत झालप्रसर वीर

किस्म मुकदमा... अपील... मुकदमा नम्बर... 03/2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/7/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>सामर खान एन</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>75 ए.पु.रा.ज.</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>05/10/21</u> को पेश हो।</p>	
31/08/21	<p>पत्रावली आज अपीलोट मय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। अपीलोट अधिवक्ता ने पत्रावली तलब कर पिट्टी कले अपील का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलोट अपील में मौजा झालप्रसर के खसरा सं. 237 रकबा 60.06 बीघा एवं खसरा सं. 291 रकबा 94.16 बीघा, कुल रकबा 155.02 बीघा यदि मेरे पक्ष के वारिसान का नामांकन हो लैत वह मेरा नाम धूर गया था, अब मेरे अपील पेश की थी। अब गांव के मौजिन लोगो ने मेरा व उत्तरवातागण का राजीनामा कवा रिखा है मेरे हितुए हैं। अब मैं इस अपील में आगे कोई आर्षवादी नही चाहती हूँ और मविष्य मैं भी</p>	 <p>R. F. J सभाई</p> 

उक्त वादग्रस्त भूमि पर एक जमाने हेतु
किसी भी प्रकार का वाद, आवेदन या अपील
पेश नहीं कहेगी।

अतः क्षीमात्रा से निवेदन
है कि उक्त अपील को शीघ्र पर
जातिपे रानीनामा विज्ञो किया जावे।

न्यायविदों अपीलान्त
मप अधिवक्ता द्वारा पेशा जायना पर वाद
विज्ञो कले अपील का स्वीकार किया जायत
अपील में आगे की कार्यवाही इन्ही 12-
पर समाप्त की जायत अपील विज्ञो (अपील)
की जाती है। फावकी केसक सुभार होय
पाखिल वहर हो। दोष्यासे एम वप्र हो।

सपुखण्ड अधिकारी
घोहटन